न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2005/00035
मिसल नम्बर–29 / 2005

1.लटूर पुत्र श्री स्व0 गोपाल जी भील
2.छोटूलाल पुत्र श्री स्व0 गोपाल जी भील
3.रामस्वरूप पुत्र श्री स्व0 गोपाल जी भील निवासीगण श्योपुरा तह0 लाडपुरा जिला कोटा

.....वादीगण

बनाम

1.कालू पुत्र श्री भवाना जाति भील निवासी घोंसी गोरधनपुरा, कोटा जिला कोटा राज०
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।
3. सचिव, नगर विकास न्यास, कोटा

..... प्रतिवादीगण

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88, 89 के तहत् वाद पत्र।)

दिनांक 18/9/25

उपस्थित–
1.श्री हुकुमचंद जैन अभिभाषक वादी
2.श्री शम्भूदयाल विजय प्रतिवादी नं0 1 लगायत 5, 7

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत हुई। प्रकरण निम्न प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 88–89 राजस्थान टेनन्सी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादीगण के पिता स्व0 श्री गोपाल जी आत्मज श्री नैनगी जी के खाते एवं कब्जे काष्त की आराजी खसरा नम्बर 149 / 184 की रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा आराजी वाके ग्राम श्योपुरा तहसील लाडपुरा, जिला कोटा राजस्थान मे स्थित है। वादीगण के पिता का देहांत हो गया है, तथा वादीगण की माता सुन्दरबाई की भी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार वादीगण है, विवाद ग्रस्त आराजी के वैध उत्तराधिकारी बने जिसका इन्द्राज जमाबन्दी मे हो चुका है। उक्त आराजी के सेटलमेंट के बाद नये खसरा नम्बर 72 कायम किये तथा रकबा 0.23 हैक्टेयर दर्ज किया गया जोकि गत रकबे के मुकाबले 0.05 हैक्टर कम दर्ज किया गया। वादीगण की वादग्रस्त आराजी को सेटलमेंट अधिकारियों को कम करने का कोई अधिकार नही था। वादीगण को रूपयों की आवश्यकता होने के कारण वादीगण ने उक्त 0.23 हैक्टर आराजी कालू आत्मज भवाना जाति भील निवासी गोरधनपुरा कोटा को विक्रय कर दी तथा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

विक्रय की गयी आराजी 0.23 हैक्टर पर कब्जा भी संभला दिया। शेष बची 0.05 हैक्टर आराजी पर वादीगण काबिज काश्त है। वादीगण की आराजी पुराने रकबे 1 बीघा 15 बिस्वा के अनुसार 0.28 दर्ज होनी चाहिये थे, जब कि सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा 0.05 हैक्टर कम दर्ज की गयी है, जिसका उन्हे कोई अधिकार नही था, जिसे वादीगण अपने तन्हा खाते मे दर्ज कराने का अधिकारी है। वाद कारण सेटलमेंट कर्मचारियों द्वारा वादीगण की आराजी कम दर्ज करने तथा राज्य सरकार को आराजी के अंकन को दुरस्त करने बाबत दिनांक 13.09.2004 को नोटिस दिये तथा नोटिस प्राप्ती के 60 दिन बाद भी उक्त कम रकबे को पुनः दुरूस्त कर वादीगण के खाते दर्ज नही करने पर माननीय न्यायालय की अधिकार सीमाओं मे उत्पन्न हुआ। वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण की कम की गयी आराजी 0.05 हैक्टर आराजी वादीगण के खातेदर्ज की जावे, तथा अन्य न्यायोचित सहायता जो भी प्रकरण की पारिस्थितियों मे उचित हो वह भी दी जावे।

प्रतिवादी नम्बर 03 नगर विकास न्यास कोटा प्रतिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि– वादी ने यह अंकित नही किया है कि खसरा नम्बर 72 पुराना खसरा संख्या क्या था। वादीगण ने खसरा संख्या की संपूर्ण आराजी का विक्रय कर दिया है। अतः वादीगण को वाद प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है। धारा 98 यूआईटी एक्ट के अन्तर्गत नगर विकास न्यास कोटा को नोटिस नही दिया है। नगर विकास न्यास कोटा के विरूद्ध घोषणा का वाद पोषणीय नहीं है। नगर विकास न्यास कोटा के विरूद्ध वाद कारण उत्पन्न नही हुआ है। खसरा संख्या 73, नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज है। खसरा संख्या 73 ग्राम श्योपुरा का गत खसरा संख्या 149/184 नहीं है। खसरा नम्बर 73 में खसरा संख्या 149/84 की आराजी शामिल नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र है कि वादी का वाद पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अप्रार्थी क्रमांक 2 तहसीलदार लाडपुरा द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवदेन किया गया है कि– खसरा नम्बर 72 रकबा 0.23 है0 मे पूर्ण रूप से आबादी बसी हुई है। यह खसरा नगर विकास न्यास कोटा धारा 90 बी के खाते दर्ज रिकोर्ड है। खसरा नम्बर 72 मे चित्रगुप्त कोलोनी नाम से आबादी बसी हुई है। खसरा नम्बर 72 का रकबा वर्तमान मे 0.23 है0 है सेटलमेंट से पूर्व यह खसरा 149/184 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा था। 1 बीघा 15 बिस्वा के अनुसार रकबा 0.28 है0 होना चाहिए जबकि सेटलमेंट द्वारा रकबा 0.23 है0 ही दर्ज किया गया है। इसी प्रकार खसरा नम्बर 73 का रकबा वर्तमान मे 1.31 है0 है, सेटलमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 151 रकबा 4 बीघा 2 बिस्वा, 152 रकबा 02 बीघा 03 विस्वा, 154 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 3 रकबा 7 बीघा 19 बिस्वा था। 7 बीघा 19 बिस्वा के अनुसार रकबा 1.27 है0 होना चाहिए था जबकि रिकोर्ड मे 1.31 है0 है, इस प्रकार 0.04 है0 रकबा बढा हुआ है। इस प्रकार खसरा नम्बर 72 का 0.04 है0 रकबा खसरा नं0 73 मे मिला हुआ है। खसरा नम्बर 73 का रकबा बढा हुआ है। तथा खसरा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ★ कोटा ★

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

संख्या 72 का रकबा कम हो रहा है। 0.01 है0 रकबा समीपस्त किसी खसरा नम्बर मे बढा हुआ नही है।

प्रकरण मे निम्न तनकी कायम की गई।

1. आया कि प्रार्थी के गत खसरा नम्बर 149/184 का रकबा 0.05 है0 कम कर भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 73 मे शामिल कर दिया गया है ?

2. अनुतोष ?

बहस उभयपक्ष सुनी गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया तथा बहस उभय पक्ष पर गम्भीरता पूर्वक मनन किया।

पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों व बहस उभयपक्ष के आधार पर तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है:–

तनकी नम्बर 1 आया कि प्रार्थी के गत खसरा नम्बर 149/184 का रकबा 0.05 है0 कम कर भू प्रबंध विभाग द्वारा नवीन खसरा नम्बर 73 मे शामिल कर दिया गया है ?

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादी पर है। वादी द्वारा नकल जमाबंदी संवत 2033–36 प्रस्तुत की गइ है। जिससे प्रमाणित होता है कि ग्राम श्योपुरा का खसरा नं0 149/184 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा गोपाल पुत्र नेनगा के खाते दर्ज रिकोर्ड था। प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल संवत 2038–57 के अनुसार खसरा नम्बर 149/184 का नया खसरा नम्बर 72 रकबा 0.23 है0 बनाया गया । जमाबंदी संवत 2038–57 के अनुसार यह खसरा नम्बर 72 रकबा 0.23 है0 गोपाल पुत्र नैनगा जाति भील के नाम दर्ज रिकोर्ड था।

उक्त दस्तावेजों से यह तो स्पष्ट होता है कि खसरा नम्बर 149/184 का रकबा दौराने भू प्रबंध 0.05 है0 कम दर्ज किया गया है। लेकिन वादी द्वारा ऐसा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नही किय गया है जो यह प्रामणित कर सके कि कम किया गया यह रकबा खसरा नम्बर 73 मे बढाया गया हो।

मिलान क्षेत्रफल संवत 2038 से 2057 से यह प्रमाणित होता है कि खसरा नम्बर 73 मे गत खसरा नम्बर 149/184 का कोई भी भाग सम्मिलित नही है।

तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे यह स्पष्ट किया गया है कि वर्तमान खसरा नम्बर 72 वर्तमान मे नगर विकास न्यास कोटा धारा 90 बी के खाते दर्ज रिकोर्ड है। इससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने खाते की सम्पूर्ण आराजी का बेचान

उपखण्ड अधिकारी कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

किया जा चुका है तथा खसरा नम्बर 72 वर्तमान मे नगर विकास न्यास के खाते दर्ज रिकोड है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा यह भी स्पष्ट कयिा गया है कि खसरा नमबर 72 मे वर्तमान मे चित्रगुप्त कोलोनी के नाम से सघन आबादी बसी हुई है।

उक्त तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि वादीगण जिस खसरा नम्बर की शुद्धी करवाने के लिए इस न्यायालय मे उपस्थित हुए है। वह वर्तमान मे वादीगण के खाते ही दर्ज रिकोर्ड नही है। तथा आबादी बसने के कारण तथा नगर विकास न्यास के खाते दर्ज होने के कारण वर्तमान मे उक्त प्रकरण को सुनने की अधिकारिता भी इस न्यायालय मे निहित नही है।

वादीगण द्वारा ना ही नक्शों का कोई तुलनात्मक विवरण प्रस्तुत किया गया है। जो यह स्पष्ट कर सके कि खसरा नम्बर 72 का कोई भाग खसरा नम्बर 73 के रकबे मे सम्मलित किया गया हो। खसरा नम्बर 73 का रकबा किस प्रकार 0.04 है0 बढ रहा है। इसे दस्तावेजों के आधार पर किसी भी पक्षकार द्वारा प्रमाणित नही किया गया है।

उक्त विवेचन के आधार पर वादीगण यह प्रमाणित करने मे असफल रहे है कि खसरा नम्बर 72 का कोई भाग खसरा नम्बर 73 मे सम्मलित किया गया हो। साथ ही वर्तमान मे खसरा नम्बर 72 वादीगण के नाम दर्ज रिकोर्ड ना होकर नगर विकास न्यास कोटा के नाम दर्ज रिकोर्ड है। अतः तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण तय की जाती है।

तनकी नम्बर 2 अनुतोष–

तनकी नम्बर 1 मे किये गये विवेचनानुसार वादीगण अपना वाद प्रमाणित करने मे असफल रहे है। तथा तनकी नम्बर 1 विरूद्ध वादीगण तय की गई है। अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 88, 89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

डिक्री परचा पृथक से जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी, कोटा